न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मंडल ग्वांलियर कैम्प सागर म.प्र.

निगरानी - 4967/2018/दमोह/भू.रा.

श्रीमति सरोज भोज पति स्व. कृष्ण कुमार भोज उम्र 50 वर्ष निवासी मुकेश कालोनी दमोह तहसील व जिला दमोह म.प्र.

....निगरानीकर्ता

।। विरूद्ध ।।

1- श्रीमति कमला बाई भोज उम्र 65 वर्ष पति स्व. कृष्ण कुमार भोज निवासी फुटेरा वार्ड नंबर 2, बडा पुल दमोह

2- जयप्रद भोज उम्र 41 वर्ष पिता स्व. कृष्ण कुमार भोज

3- अभय प्रद भोज उम्र 38 वर्ष पिता स्व. कृष्ण कुमार भोज

4- अनंद प्रद भोज उम्र 35 वर्ष पिता स्व. कृष्ण कुमार भोज

तीनों निवासी नया बाजार नंबर 1, बडा पुल दमोह म.प्र.

प्रतिउत्तरवादीगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा. संहिता

पुनरीक्षणकर्ता/निगरानीकर्ता की ओर से सम्माननीय न्यायालय से निम्नलिखित निवेदन है :-

1- यह कि, उपरोक्त पुनरीक्षण/निगरानी अनुविभागीय अधिकारी दमोह म.प्र. के रा. अ.क. 22-अ/6 वर्ष 2017-18 पक्षकार 1- कमलाबाई व अन्य विरूद्ध सरोज भोज में पारित विधि विरूद्ध आदेश दिनांक 26.04.2018 से दुखित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रही है :-

पुनरीक्षण के आधार

2- यह कि, पुनरीक्षणकर्ता सरोज भोज स्व. कृष्ण कुमार भोज की पत्नि हैं। स्व. कृष्ण कुमार भोज का स्वर्गवास दिनांक 09/04/2017

(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4967/2018/दमोह/भू.रा. सरोज विरूद्ध कमला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई अभिभाषक श्री रमेश कुमार पाठक उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दमोह के प्रकरण क्रमांक 22-अ/6 वर्ष 2017-18 में पारित आदेश दिनांक 26-04-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-06-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर दमोह के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह को अंतरित किया जाता	

3/1/19

है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर दमोह के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 3/1/19
सदस्य